



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-107

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 321809 दिनांक 29/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Santosh Kumar Gupta S/o Ramvilash Gupta	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामविलास गुप्ता	41	261.28 SQ. YARD	Cooperative	SARDAR SINGH NAGAR	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की सहकारी समिति जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति सरदार सिंह नगर के भूखण्ड सं. 41 क्षे. 261.28 व.ग. की लीजडीड श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामविलास गुप्ता को दिनांक 15.02.2003 में जारी कर दी गई। श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामविलास गुप्ता की मृत्यु दिनांक 04.07.2006 को हो गई। श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामविलास गुप्ता के वारीसान निम्नानुसार है 1. श्री रामविलास गुप्ता पुत्र श्री भुरमल, 2. श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी श्री बनवारी लाल पुत्री श्री रामविलास गुप्ता,



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

3. कांता देवी
पत्नी श्री कैलाश
चन्द गुप्ता पुत्री
श्री रामविलास
गुप्ता, 4. श्रीमती
राधिका गुप्ता
पत्नी श्री गिरिराज
प्रसाद गुप्ता पुत्री
श्री रामविलास
गुप्ता, 5. श्रीमती
प्रियंका पत्नी श्री
जगदीश पुत्री श्री
रामविलास गुप्ता,
द्वारा उक्त
भूखण्ड का
रजिस्टर्ड हक
त्यागपत्र के
माध्यम से श्री
संतोष कुमार
गुप्ता पुत्र श्री
रामविलास गुप्ता
को दिनांक
11.06.2026 को
भूखण्ड के समस्त
अधिकार प्रदान
कर दिये गये।
आवेदनकर्ता श्री
संतोष कुमार
गुप्ता पुत्र श्री
रामविलास गुप्ता
द्वारा उक्त
भूखण्ड का
फ्रीहोल्ड पट्टा हेतु
आवेदन प्रस्तुत
किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Santosh Kumar Gupta S/o Ramvilash Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।